

देश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
हरण संख्या 191/2024 (धारा 14 सिक्कीरिटाईजेशन)

स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेन्स (इण्डिया) लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय-19-ए,
शिवर मार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

इकबाल घोसी पुत्र इमामुद्दीन घोसी,

पता- किशनपोल बाजार, जयपुर जीपीओ, 358, आकड़ों का रास्ता, जयपुर।

अच्छो बानो पत्नी मोहम्मद कुरैशी,

पता- 358, आकड़ों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जीपीओ, जयपुर

प्लॉट नं. 32, ग्राम बाल्यावाला, डेयरी फार्म हरचंदपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

तः- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 29.10.2024

प में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.05.2018
पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अच्छो पत्नी इमामुद्दीन के स्वामित्व की संपत्ति
नं. 32, हरचंदपुरा, बाल्यावाला, आगरा रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 202.5 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल
06,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था
ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को
क 12.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि
भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The
ritisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,
की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा
करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना
पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

की के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि
00/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित
प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से

जिला मजिस्ट्रेट
(अजमेर) जयपुर (अजमेर)

नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 04,79,855/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.07.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अच्छो पत्नी इमामुद्दीन के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 32, हरचंदपुरा, बाल्यावाला, आगरा रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 202.5 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिस्सा मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)